PRINCIPAL & SECRETARY
Management Committee
Agra College, Agra

प्राचार्य एवं सचिव
प्रबंध समिति
आगरा कॉलेज, आगरा

(डॉ० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध, NAAC 'A+' उच्च शिक्षा संस्थान)

Ref. No. 107(1)/आ०का०/2026-27 Date 01/08/2026

विज्ञप्ति/कार्यालय आदेश

(पदोन्नति के आधार पर लिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में पुनः विज्ञप्ति)

संदर्भः

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या Writ – A No- 2055/2026 (जितेन्द्र सिंह एवं 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 25.02.2026।
2. अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 4434/2026 (जितेन्द्र सिंह एवं 2 अन्य बनाम श्री राजेश कुमार एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.07.2026।

विज्ञप्ति

उपर्युक्त संदर्भों के अनुक्रम में समस्त सम्बन्धित स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्थायी रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति शासनादेशों (1. उ0प्र0 शासन का शासनादेश संख्या19/2015/581 सत्तर–2–2015–16(645)2011 दिनांक 03.11.2015) के प्रावधानों अनुसार की जायेंगी। व्यवस्थानुसार कनिष्ठ लिपिक–सह–टंकक, कनिष्ठ सहायक (कार्यालय सहायक), सहायक तथा रुटीन लिपिक के रिक्त पदों में 20 प्रतिशत पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में पदोन्नति हेतु लिपिक संवर्ग के निम्नलिखित 02 (दो) पद रिक्त हैं–

1. लिपिक पद – 01
2. लिपिक पद – 01

पात्रता की शर्तेः–

(क) 15 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भरे जाएंगे जो हाईस्कूल उत्तीर्ण हों तथा टंकण का ज्ञान रखते हों।

(ख) शेष 05 प्रतिशत पद ऐसे स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से भरे जाएंगे, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिन्हें टंकण का ज्ञान हो।

आवेदन की प्रक्रियाः

1. जिन पात्र स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पूर्व में पदोन्नति हेतु विज्ञापित विज्ञप्ति के आधार पर दिनांक 14.02.2026 अथवा विस्तारित तिथि 10.03.2026 तक निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन–पत्र प्राचार्य कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था, उनके आवेदन इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत भी स्वतः विचारार्थ सम्मिलित माने जाएंगे तथा उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

01.08.2026

प्राचार्य/सचिव
Principal/Secretary
प्रबन्ध समिति, आगरा कॉलेज, आगरा
Management Committee, Agra College, Agra

2. जो पात्र स्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपर्युक्त तिथियों में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके थे अथवा तदुपरान्त पात्रता अर्जित की है, वे निर्धारित प्रपत्र पर अपना आवेदन–पत्र, समस्त शैक्षणिक/टंकण अर्हता के प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित, इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिन के भीतर प्राचार्य कार्यालय में जमा करें।
3. निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप महाविद्यालय की वेबसाइट (**www.agracollegeagra.org.in**) से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह विज्ञप्ति उपरोक्त संदर्भित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.02.2026 (रिट–ए संख्या 2055/2026) तथा आदेश दिनांक 17.07.2026 (अवमानना याचिका सिविल संख्या 4434/2026) के अनुपालन में जारी की जा रही है।

भवदीय

01.08.2026

(प्रो0 सी0के0 गौतम)
प्राचार्य/सचिव, प्रबन्ध समिति,
आगरा कॉलेज, आगरा

प्राचार्य/सचिव
Principal/Secretary
प्रबन्ध समिति, आगरा कॉलेज, आगरा
Management Committee, Agra College, Agra

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. कॉलेज वेबसाइट।
2. कॉलेज नोटिस बोर्ड।
3. कॉलेज द्वारा अधिकृत कर्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप।
4. समस्त विभाग प्रभारी।
5. गार्ड फाइल।
6. याचिका कर्ता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (रिट–ए संख्या 2055ध्2026 एवं अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 4434ध्2026) (1. श्री जितेन्द्र सिंह, 2. मो0 आरिफ एवं 3. श्री हरिओम सोलंकी)